O.S.D (श्री संदीप)

प्रधान सचिव
प्राधिकृत प्रधान

01/8/13

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग
संख्या– 611/F/XVIII(2)/13-4(13)/2013
देहरादून: दिनांक 20 जुलाई, 2013

मुख्य सचिव का कार्यालय, बिहार 30 JUL 2013, बिहार, पटना-800015

1285
31.7.13

कार्यालय ज्ञाप

प्राकृतिक आपदा में स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को अनुग्रह राशि (EX-GRATIA) की धनराशि वितरित करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:–

दिनांक 16–17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, गोविन्दघाट एवं अन्य स्थानों में भागीरथी, मन्दाकिनी अलकनन्दा, गोरी, काली एवं अन्य सहायक नदियां अपने साथ भीषण जल प्रलय **(Flash Flood)** तथा महाविनाश लायी। इस जल प्रलय में वृहद संख्या में व्यक्ति स्थायी रूप से लापता होने की सूचना प्राप्त है।

मुख्य सचिव कार्यालय
डायरी सं० 3246
दिनांक 31.7.13

2. भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा कार्रवाही कोष (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा कार्रवाही कोष (एन0डी0आर0एफ0) में मृत व्यक्तियों के सम्बंध में अनुग्रह राशि दिये जाने की व्यवस्था है लेकिन स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के सम्बंध में अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को प्रत्येक मृतक के लिए रू0 1.50 लाख राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस0डी0आर0एफ0) से देय धनराशि के अलावा रू0 1.50 लाख अपने संसाधनों से स्वीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया है। मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय के परिपत्र संख्या–82(11380)/2013–PMF, दिनांक 21 जून, 2013 के द्वारा रू0 2.00 लाख इस प्रदेश में आये इस जल प्रलय के मृत व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है। इस प्रकार मृत व्यक्तियों के लिए कुल रू0 5.00 लाख का अनुग्रह अनुदान प्रति मृतक के रूप में देय है।

इस नियमावली में यह भी उल्लेख है कि **"भारत के राज्य क्षेत्र में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को भी यह राहत नहीं दी जायेगी।"**

OSD, निगरानी ...
1/8/13

3. चूंकि राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा कार्रवा. कोष (एन0डी0आर0एफ0) के प्राविधानों के अधीन स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को अनुग्रह धनराशि दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए भारत सरकार एवं मा0 प्रधानमंत्री सचिवालय से उक्तानुसार मृत व्यक्तियों को अनुमन्य धनराशि के समतुल्य राशि स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को भी स्वीकृत किये जाने हेतु मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के उपरांत अनुरोध किया जाना होगा, ताकि तद्नुसार स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को उक्तानुसार रू0 5.00 लाख प्रति स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के रूप में स्वीकृत किया जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि इन स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को अनुग्रह राशि वितरित किये जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्वान्त बनाये जॉय। इस निमित्त स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की निम्नानुसार चार श्रेणियॉ बनायी जानी प्रस्तावित हैं:—

(ii) प्रथम श्रेणी में उन स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को रखा जाना प्रस्तावित है जो सामान्यतया उपरोक्त तिथियों को केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, गोविन्दघाट एवं प्रदेश के अन्य जल प्रलय के स्थानों में वास्तविक (Physicaly) रूप से रहते थे और उक्त तिथियों के बाद (16 जून, 2013) उक्त स्थानों से लापता हैं।

(ii) द्वितीय श्रेणी ऐसे स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की प्रस्तावित है जो इन नदियों के समीप ग्रामों में रहते थे और अपने जीवन निर्वाह के लिए इस कालान्तर में आपदा प्रभावित उपरोक्त क्षेत्रों में गये थे या उनके ग्राम एवं निवास स्थल में यह जल प्रलय आया और वे उसके बाद से स्थायी रूप से लापता हो गये हैं।

(iii) तृतीय श्रेणी उत्तरखण्ड के ऐसे स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की है जो उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से इन तिथियों में उपरोक्त जल प्रलय के क्षेत्रों में किसी कारण से गये थे और उसके बाद स्थायी रूप से लापता हो चुके हैं तथा अभी तक वापस नहीं आये हैं।

(iv) चतुर्थ श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की है जो उत्तराखण्ड से बाहर अन्य प्रदेशों के रहने वाले हों जो उपरोक्त तिथियों में उत्तराखण्ड के उपरोक्त जल प्रलय क्षेत्रों में पर्यटक

बनकर या श्रृद्वालु के रूप में या अन्य कारणों से उत्तराखण्ड के उपरोक्त क्षेत्रों में आये थे और उसके बाद स्थायी रूप से लापता हो गये।

4. मा0 मंत्रिमण्डल के विचारार्थ यह बिन्दु प्रस्तुत है कि चूँकि उपरोक्त श्रेणी के व्यक्ति उत्तराखण्ड में उपरोक्त तिथियों में लापता हो चुके हैं अतः उनके परिवार को ऐसी आपदा की घड़ी में कुछ सीमा तक सांत्वना मिल सके और इस भावना के साथ कि इस विपदा की घड़ी में राज्य सरकार भी उनके साथ खड़ी है उन्हें रू0 पाँच लाख की धनराशि की अनुग्रह राशि (EX-GRATIA) निम्न मदों से स्वीकृत की जायः–

(i) भारत सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद से मृत व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली अनुग्रह राशि (EX-GRATIA) के बराबर अनुमन्य धनराशि रू0 1.5 लाख।

(ii) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि रू0 1.5 लाख।

(iii) भारत सरकार द्वारा मा0 प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मृत व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के समतुल्य धनराशि रू0 2.00 (दो) लाख।

इस प्रकार कुल धनराशि रू0 5.00 लाख।

(iv) तदुपरान्त इस टिप्पणी के पैरा–3 के अनुसार भारत सरकार एवं मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जायेगा।

5. उपरोक्त आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित हैः–

(i) सर्वप्रथम स्थायी रूप से लापता व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र में दर्ज की जानी अनिवार्य होगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे और यदि ये सभी किसी कारण से उपलब्ध न हों तो अन्य विधिक उत्तराधिकारी **(NEXT OF KIN)** द्वारा दर्ज होगी।

(ii) स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी **(NEXT OF KIN)** जैसा कि इस टिप्पणी के पैरा 5 में उल्लिखित किया गया है, के द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का दिया जायेगा कि जिस व्यक्ति के सम्बंध में स्थायी रूप से लापता बताकर

अनुग्रह राशि का आग्रह किया जा रहा है, वह वास्तव में स्थायी रूप से लापता चुका है और उसके सम्बंध में जो विवरण दिया गया है वह सत्य है। इस आशय का शपथ पत्र/बंध पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा उक्त **अनुग्रह राशि** गलत रूप से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी है तो ऐसी स्थिति में वह समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा तथा उसके विरूद्व जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह सम्पन्न की जायेगी। यह शपथ पत्र नोटराइज्ड किया जायेगा और स्थायी अभिलेखों के रूप में संरक्षित किया जायेगा। शपथ पत्र/बंध पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

(iii) स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों से सम्बंधित सभी अभिलेख जिलाधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार इस निमित्त व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके साथ ही एक पंजी भी तैयार की जायेगी जिसे स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की पंजिका (Register of Permanently Missing Persons) कहा जायेगा। इसे भी स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।

6. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की सूची के चिन्हि्करण, उनकी सूची तैयार किये जाने एवं उनसे सम्बंधित अभिलेखों को तैयार करने एवं सरंक्षण हेतु सम्बंधित तहसील/परगना के परगनाधिकारी को इस निमित्त नियत प्राधिकारी घोषित किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुरूप एक तहसील में एक से अधिक समकक्ष अधिकारियों को भी कार्य की वृहत्तता को देखते हुए इस निमित्त नियत प्राधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है। सम्बंधित नियत प्राधिकारी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्यों, अन्य साक्ष्यों तथा स्वविवेक से भी निर्णय लिया जायेगा। नियत प्राधिकारी ही धनराशि आवंटन के लिए भी प्राधिकारी होंगे तथा ऐसे प्रत्येक आवंटन का इन्द्राज एवं भुगतान का प्रमाण अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे, जिसे स्थायी रूप से संरक्षित किया जायेगा।

7. स्थायी लापता व्यक्ति का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों से किया जायेगा:–

(i) राशन कार्ड।

(ii) परिवार रजिस्टर।

(iii) मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र।

(iv) यदि घर का मुखिया है तो गृह कर/विद्युत कर/जल कर की रसीद।

(v) बैंक पासबुक।

(vi) आधार कार्ड।

(vii) विद्यालयी अभिलेख।

8. उपरोक्तानुसार नियत प्राधिकारी लापता व्यक्तियों के सम्पूर्ण विवरण को राजकीय गजट में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रख्यापित करेंगे, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:—

(i) लापता व्यक्ति का नाम एवं लिंग,

(ii) लापता व्यक्ति के माता/पिता का नाम,

(iii) लापता व्यक्ति के निवास का पता,

(iv) लापता व्यक्ति की आयु,

(v) अन्य ऐसे पहचान चिन्ह् एवं सूचक जैसा कि नियत प्राधिकारी को किसी अधिकारिक माध्यम से ज्ञात हो।

9. चिन्ह्ीकरण की प्रक्रिया में सम्बंधित नियत प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित थाने/राजस्व पुलिस क्षेत्र से सूचना प्राप्त की जायेगी कि उक्त व्यक्ति स्थायी रूप से लापता है और उसके बारे में जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

10. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के नाम उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। इन सूचीयों को शासकीय गजट में भी प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारिक वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जायेगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि 30 दिन के अंतर्गत लापता व्यक्ति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सम्बंधित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी **(NEXT OF KIN)** जैसा किस इस नियमावली में प्राविधानित है, को प्रश्नगत प्राविधानों के अधीन अनुग्रह राशि वितरित कर दी जायेगी।

11. यह अहेतुक सहायता (EX-GRATIA) की धनराशि उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए सम्बंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से तथा उत्तराखण्ड के बाहर सम्बंधित प्रदेशों के मुख्य

सचिवों द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुरूप स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के परिवा के व्यक्तियों या अन्य को निम्न क्रमानुसार वितरित की जायेगी:—

(i) जीवित पति/पत्नी (लापता व्यक्ति के विवाहित होने की स्थिति में)।

(ii) जीवित माता/पिता (लापता व्यक्ति के अविवाहित होने की स्थिति में)।

(iii) जीवित माता/पिता (समस्त परिवार पति/पत्नी एवं बच्चों के लापता होने की स्थिति में)।

(iv) (iv) जीवित बच्चे (यदि उक्त आपदा में उनके अपने माता/पिता अथवा विधिक संरक्षक लापता हों)। जीवित बच्चों के बालिग न होने की स्थिति में उनके हितों को संरक्षित किये जाने हेतु पृथक से प्राविधान किये जॉयेंगे।

12. उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने के बाद इस प्राकृतिक आपदा में स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर एकमुश्त प्रदान की जायेगी।

13 अन्य प्रदेशों के सम्बंध में भी यही मार्गदर्शक सिद्वान्त सभी सम्बंधित मुख्य सचिवों को प्रेषित कर दिये जाँय, ताकि इसी प्रकिया का अनुपालन कर अनुग्रह राशि (EX-GRATIA) की धनराशि की माँग सम्बंधित मुख्य सचिव द्वारा वितरण हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा सके और उन्हें तद्नुसार लापता व्यक्तियों के **NEXT OF KIN** को **अनुग्रह राशि** (EX-GRATIA) वितरण हेतु उपलब्ध करायी जा सके।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या: 611 F (1)/XVIII(2)/13-4(13)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

<u>परिशिष्ट–1</u>

शपथ पत्र / बन्ध पत्र (AFFIDAVIT/ BOND) का प्रारूप

मैं,...पुत्र / पुत्री... श्री / श्रीमती / कुमारी...का विधिक वारिस (NEXT OF KIN) हूँ। मैं (श्री / श्रीमती / कुमारी)................................शपथपूर्वक यह तथ्य उल्लिखित करता हूँ / करती हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी...........................आज दिनांक................................तक वापस नहीं आये हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी..................... .... से मेरा ....का सम्बंध है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में आयी इस आपदा के कारण वे लापता हो गये हैं और उनके लापता होने का और कोई अन्य कारण नहीं है। वे जून 2013 के तृतीय सप्ताह के दौरान उत्तराखण्ड में थे और मुझे विश्वास है कि उत्तराखण्ड में आयी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप ही वे स्थायी रूप से लापता हो गये हैं। यदि वे वापस आते हैं तो अविलम्ब मैं यह धनराशि उत्तराखण्ड सरकार को उनके वापस आने की सूचना सहित वापस कर दूंगा / दूंगी। मैं यह भी प्रतिशपथ करता / करती हूँ कि यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा प्राप्त **अनुग्रह राशि** त्रुटिपूर्ण तरीके से या तथ्यों की गलत घोषणा से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी है तो यह धनराशि मुझसे वापस प्राप्त कर ली जाय और ऐसा होने पर मेरे विरूद्व अन्य विधिसम्मत् कार्यवाही की जाय तथा यह धनराशि मेरे द्वारा वापस न किये जाने की स्थिति में भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल भी कर ली जाय।

विधिक वारिस के हस्ताक्षर
(SIGNATURE OF NEXT OF KIN)

साक्षी– 1..................................

साक्षी– 2................. ....

7– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
9– निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।